PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Thursday 11th June 2015, Page: 5
Width: 8.55 cms, Height: 22.10 cms, a4, Ref: pmin.2015-06-11.40.54

अब दवा भी ऑनलाइन बेचने की तैयारी

ज्ञानप्रकाश/एसएनबी

नई दिल्ली। बहुत जल्द ही आप माउस पर क्लिक कर घर बैठे दवा मंगवा सकेंगे। इसके लिए अब आपको केमिस्ट

- क्वॉलिटी रेग्युलेटर तैयार कर रहा है गाइडलाइंस
- अगले महीने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य विभाग-औषध विभाग की होगी बैठक
- दुकानों से दवा लेने की अपेक्षा 25 से 40 फीसद तक सस्ती होगी

की दुकान पर जाना नहीं पड़ेगा। दवाओं की ऑनलाइन सेल के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग गौर कर रहा है। इस प्रकार की ऑनलाइन सेल पर नजर रखने के लिए ड्रग क्वॉलिटी रेग्युलेटर कुछ गाइडलाइंस और व्यवस्था तैयार कर रहा है। एक वरिष्ठ रेग्युलेटरी अधिकारी ने बताया कि अगले महीने औषधि परामर्शदाता कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है।

वर्तमान समय में ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट में शेडयूल 'एच' की दवाओं को किसी डॉक्टर की पर्ची के बगैर बेचने की अनुमति नहीं है। इस कानून में तो उन दवाओं को भी लाइसेंस प्राप्त रिटेलर ही बेच सकते हैं। जिनको आमतौर पर केमिस्ट दुकानों पर बगैर किसी डॉक्टर की पर्ची के बेचते हैं। लेकिन, सेंट्रल ड्रग रेग्युलेटर की जानकारी में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ ऑनलाइन रिटेल कंपनियों को दवा बेचते हुए पाया गया। किसी प्रकार की गाइडलाइंस के अभाव में रेग्युलेटरी एजेंसियों को इस तरह की ऑनलाइन सेल पर नजर रखने और पकड़ने में मुश्किल हो रही है। औषधि नियंत्रक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बदलते रुझान को देखते हुए ऑनलाइन सेल के लिए कुछ प्रावधान करें और इसकी निगरानी के लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाए।

हाल ही इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने इस प्रकार की सेल की निगरानी के लिए राज्य के ड्रग रेग्युलेटरों से कुछ व्यवस्था सुझाने का अनुरोध किया था। ऑनलाइन प्रक्रिया उसी अनुरोध की पहल है। इस समय राजधानी में करीब 8300 डिस्ट्रीब्यूटर जबकि 17 हजार लाइसेंस प्राप्त दवा की दुकानें है, जिनके माध्यम से राजधानी के विभिन्न हिस्सों में मरीजों को दवाएं सहजता से उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्य को और सरल बनाने के लिए ही ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की जा रही है। अधिकारी का कहना है कि इस सुविधा का एक फायदा यह होगा कि दुकानों की अपेक्षा यहां दवा की कीमत में 25 से 40 फीसद तक रियायत मिल सकती है। दवा ऑनलाइन बुकिंग के कुछ घंटे बाद कोरियर के जरिए दवा वितरित की जाएगी। इस कार्य को अंजाम देने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की भी मदद लीं जा सकती है।

GOVT.